

भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1629

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम

1629. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:
- (क) देश में कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जा रही जैव ऊर्जा परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) चरण-I के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई जैव ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित घटकों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) चरण-II के लिए सरकार क्या तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि चरण-I के इसी वित्तीय वर्ष तक पूरा होने की संभावना है; और
- (ङ) उक्त एनबीपी कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश को दी गई वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है:-
- i. शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्टों और अवशेषों से बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस और विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करना;
 - ii. बायोमास ब्रिकेट और पेलेट निर्माण संयंत्रों की स्थापना में सहायता करना तथा बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं में सहायता करना; तथा
 - iii. स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के लिए छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और तापीय (थर्मल) एवं लघु विद्युत अनुप्रयोगों की स्थिर आवश्यकताओं को पूरा करना
- (ख) तथा (ग): आंध्र प्रदेश राज्य में एनबीपी के तीन उप-घटकों के अंतर्गत समर्थित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।
- (घ) चरण-II की तैयारी के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में मंत्रालय ने एनबीपी के चरण-I का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन शुरू कर दिया है।
- (ङ) एनबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का स्वरूप **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

‘राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1629 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

आंध्र प्रदेश राज्य में सहायता प्राप्त जैव ऊर्जा परियोजनाओं का जिला-वार विवरण:-

(क) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत

जिला	स्वीकृत परियोजना की संख्या	संचयी स्थापित क्षमता
चित्तूर	1	1680 कि. ग्रा. प्रति दिन
गुंटूर	1	850 कि. ग्रा. प्रति दिन
कुरनूल	1	800 कि. ग्रा. प्रति दिन
विशाखापट्टनम	1	850 कि. ग्रा. प्रति दिन

(ख) बायोमास कार्यक्रम के अंतर्गत

जिला	स्वीकृत परियोजना की संख्या	संचयी स्थापित क्षमता
गोदावरी पश्चिम	1	8 मेगावाट गैर-खोई सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र
गोदावरी पूर्व	1	3.87 मेगावाट बायोमास (गैर-खोई) सह-उत्पादन परियोजना

(ग) बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत

जिला	स्वीकृत परियोजना की संख्या
अन्नमय्या	1
बापतला	7
चित्तूर	12
गुंटूर	9
कृष्णा	8
पलनाडु	13
प्रकाशम	6

‘राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1629 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

एनबीपी के अंतर्गत विभिन्न उप-घटकों के लिए सीएफए का स्वरूप निम्नानुसार है:

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	सीएफए (करोड़ रु. में)
बायोगैस उत्पादन	0.25 करोड़ रु. प्रति 12,000 घन मीटर प्रति दिन
बायो-सीएनजी उत्पादन	4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन के लिए) 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन के लिए)
बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन	0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए) 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए)
जैव (बायो) एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत	0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट
बायोमास गैसीफायर	विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्यूअल इंजन के साथ 2,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य (KWe) विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल समतुल्य
बायोमास कार्यक्रम	सीएफए
ब्रिकेट निर्माण संयंत्र	9 लाख रु. प्रति टीपीएच (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)
गैर-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र	21 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना)
टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र	42 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 210 लाख रु. प्रति परियोजना)
गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना	40 लाख रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)
बायोगैस कार्यक्रम	सीएफए
लघु बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र)	घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/- रु. से 70,400/- रु.
विद्युत उत्पादन और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए (25-2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता)	विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35,000/- रु. से 45,000/- रु. थर्मल अनुप्रयोगों के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य 17,500/- रु. से 22,500/- रु. नोट: पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक;